जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन : सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में नई सोच

जल जीवन मिशन का उद्देश्य नियमित और दीर्घ कालिक आधार पर देश के हर ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा (प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर की दर से) और गुणवत्ता वाले पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धता से महिलाओं विशेष रूप से लड़कियों की मेहनत का बोझ कम होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की 'जीवन सुगमता' में भी सुधार होगा।

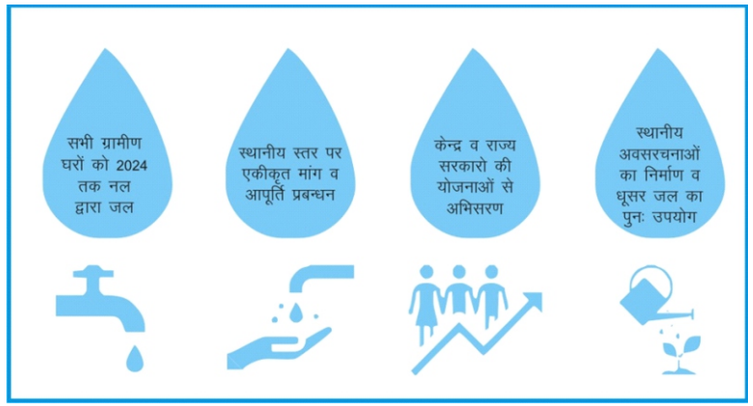

केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का यह कार्यक्रम है इसकी सफलता के लिए गांवों की जल आपूर्ति प्रणाली के दीर्घकालिक स्तायित्व में ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों की नियोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन और रखरखाव में भागीदारी व समुदायों की एकजुटता काफी अहम है। यह लोगों का वास्तविक सशक्तिकरण है, जो हमारे संविधान में निहित है।

- जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ मिलकर वर्ष 2019 में लागू किया जा रहा है। यह मिशन वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
- जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।

जल जीवन मिशन के लक्ष्य

वर्ष (FHTC) 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है।

- यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ–साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है।
- यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुनः उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।

जल जीवन मिशन की विशेषताएँ

- जल जीवन मिशन (JJM) स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित
- वर्षा जल संचयन, भू–जल पुनर्भरण और पुनः उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों / योजनाओं के साथ अभिसरण
- मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल

जल जीवन मिशन के घटक

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पाईपलाईन जल आपूर्ति का विकास करना।
- जल आपूर्ति प्रणाली को स्थायित्व उपलब्ध कराने के लिए पेयजल स्त्रोत का विकास करना व मौजूदा स्त्रोतों को बढ़ाना।
- जहां आवश्यकता हो वहां प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोक (बल्क) में वॉटर ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क स्थापित करना।
- जहां जल गुणवत्ता की समस्या हो वहां समस्या के निवारण के लिए कार्य करना।
- 55 एल.पी.सी.डी. के न्यूनतम सेवा स्तर पर (FHTC) उपलब्ध कराने से पहले ही पूरी हो चुकी और चालू स्कीमों की रेट्रोफिटिंग करवाना।
- गंदे / धूसर जल का प्रबंधन।
- सहायक गतिविधियां जैसे – आई.ई.सी. (सूचना शिक्षा और संचार) एच.आर.डी. (मानव संसाधन विकास) प्रशिक्षण जल गुणवत्ता प्रयोगशाला जल गुणवत्ता प्रशिक्षण और निगरानी व समुदायों का क्षमता निर्माण करना।
- आपदा दुर्घटना के कारण उभरने वाली चुनौतियों से निपटना जिनसे वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को (FHTC) उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वित्तीयन पैटर्न

- केंद्र और राज्यों के बीच वित्त साझाकरण पैटर्न
- हिमालय और उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिये 90:10
- अन्य राज्यों के लिये 50:50 और
- केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% है।

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन

- जल समितियाँ पानी समिति/पंचायत ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।
- सभी स्तरो पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होगी।
- कार्ययोजना, क्रियान्वयन व अनुश्रवण के लिए राजस्व ग्राम में उसके टोले आदि इकाई होगे।
- समुदाय की भागीदारी होगी।
- इनमें 10–15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), आँगनवाड़ी, शिक्षक आदि शामिल होते हैं।
- 'पानी समितियाँ'/ पंचायत ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों के नियोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव हेतु उत्तरदायी हैं।
- पीएचइडी सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- सरकार व इसके विभागों की सहजकर्ता की भूमिका होगी।
- 15ए पंचायत/पानी समितियों की क्रियान्वयन में मदद करेगी।
- योजना, निर्माण के जल के उचित उपयोग व जल संरक्षण को महत्व दिया जाना है।
- समितियाँ सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक एकल ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं। योजना को लागू करने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाता है।

जल जीवन मिशन के लाभ

- घरेलू पाईप–लाइन जल आपूर्ति–हर घर में नल से जल
- सभी के घरों में साफ और शुद्ध जल
- भूजल स्तर का पुनर्भरण
- बेहतर स्थानीय बुनियादी ढांचे
- पानी से होने वाली बीमारियों में कमी
- पानी की कम बर्बादी
- पानी भरने के लिए दूर बाहर नही जाना पड़ेगा
- समुदाय की भागीदारी, स्वामित्व व प्रबन्धन
- स्त्रोत व तन्त्र की सतत् बना रहेगा
- परिचालन व रखरखाव पंचायत/पानी समिति के द्वारा
- जीवन सुगमता
- महिलाओं को श्रम व कठिनाईयों से छुटकारा

हर घर जल
जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन

Key Resource Centre (KRC) - Jal Jeevan Mission

Action for Community Empowerment (ACE)
Email: aceindia.org@gmail.com, Web: www.acengo.org